सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 19/17

1. हरदयालसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह } अकवाम जटसिख सकनाए 17 पीएस
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री निर्मलसिंह } तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अवतारसिंह } पिसरान श्री अमरसिंह अकवाम जटसिख सकनाए 17
2. अजीतसिंह } पी.एस. मीरांपुरा कला तहसील व जिला जालन्धर (पंजाब)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।
4. सतपाल पुत्र इन्द्रसिंह जाति मेहरा साकिन 19 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13–02–2017
उप तहसीलदार, मुकलावा

उपस्थित :

1.श्री विजय रेवाड़, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.श्री गुरविन्द्रसिंह, अधिवकता, रेस्पोडेन्ट सं0 1–2–4
3.राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 3

आदेश **दिनांक : 01 –06–2017**

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 17 पी.एस. के मुरब्बा नं0 42 की 2–063 है0 भूमि अमरसिंह पुत्र गण्डासिंह के नाम से खातेदारी थी। वसीयतकर्ता अमरसिंह ने दिनांक 20–12–91 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 क्रमशः अवतारसिंह, अजीतसिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मुकलावा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का निवेदन किया जिसपर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–2–17 द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन छोटे अखबार सीमाकिरण में करवाया गया है, जिसका ज्ञान अपीलांटस को नहीं हुआ है। तथाकथित वसीयत दिनांक 20–12–91 पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर अग्रेंजी में है जबकि वह हस्ताक्षर उर्दू में करता था। वसीयत फर्जकारी कर फर्जी बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका एवं वस्तुस्थिति की जॉच नहीं करवाई गई है। विवादित भूमि पर कब्जा लगातार अपीलार्थीगण का चला आ रहा है। विवादित भूमि की वसीयत अमरसिंह द्वारा अपीलांट के पक्ष में करवाई गई है इसलिए सुनवाई का अवसर दिया जावे। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–2–17 निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। सार्वजनिक आपति का सूचना पत्र छोटे अखबार सीमाकिरण में प्रकाशित करवाया गया है, जिसकी सूचना अपीलांटस तक नहीं पहुॅची है। पहली वसीयत दिनांक 6–3–87 को वसीयतकर्ता द्वारा की गई है, जो अनरजिस्टर्ड है, उसमें वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर उर्दू में हैं जबकि दिनांक 20–12–91 की जो रजिस्टर्ड वसीयत है, उसमें उसके हस्ताक्षर अग्रेंजी में है। दोनों वसीयतों में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों में भिन्नता है। वर्ष 1991 में की गई वसीयत वसतीयकर्ता अमरसिंह द्वारा नहीं की गई है। वसीयत के आधार पर भूमि का इंतकाल स्वीकृत करवा कर भूमि का विक्रय रेस्पो0 सं0 4 सतपाल को कर दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अमरसिंह वसीयतकर्ता द्वारा दिनांक 20–12–91 को जो वसीयत की गई है, वह उप पंजीयक जालन्धर (पंजाब) से बाकायदा पंजीबद्व है। पंजीबद्व वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही करते हुए, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन सीमाकिरण समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अपील अपीलांट सारहीन है। अतः खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वसीयतकर्ता अमरसिंह द्वारा दिनांक 20–12–91 को उप पंजीयक, जालन्धर (पंजाब) के समक्ष वसीयत बाकायदा रजिस्टर्ड करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 अवतारसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–12–16 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विहित प्रकिया के अन्तर्गत सार्वजनिक आपति का सूचना –पत्र ''सीमाकिरण'' समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का आक्षेप रिकार्ड पर दर्ज नहीं हुआ। हल्का पटवारी से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई है। समस्त विधिक प्रकियाओं की पालना करते हुए दिनांक 13–2–17 को अपीलाधीन आदेश पारित कर चक 17 पी. एस. के मु0 नं0 42 की भूमि 2.063 है0 रकबा उप पंजीयक, जालन्धर से बाकायदा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश दिये हैं। वकील अपीलांटस द्वारा बहस के दौरान की गई आपति का पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आलोक में कोई मायना नहीं रह जाता है क्योंकि पंजीबद्व वसीयत की तुलना में अपंजीबद्व वसीयत और वह भी बाद की पंजीबद्व वसीयत में बाकायदा उल्लेख के साथ कि पुरानी वसीयत दिनांक 6–3–87 को निरस्त कर निष्पादित करवाई गई है। पंजीबद्व वसीयत के संबंध में अन्य कोई जॉच किया जाना विधि की दृष्टि में समीचीन नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। लिहाजा विधिपूर्ण पारित आदेश में किसी प्रकार की दखलंदाजी करना समुचित नहीं है।

निष्कर्षतः, अपील अपीलांटस अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–2–17 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 01–06–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर